



## कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (MANDSAUR), मध्यप्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

क्रमांक:/191111193/स्कूल आई.डी. - 42570  
प्रति,

दिनांक:- 28/02/2018

प्रबंधक,

(Gyan Vihar Public School)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -Gyan Vihar Public School, BHENSODAMANDI, TEH-BHANPURA, DIST-MANDSAUR को कक्षा Nursery से कक्षा 8th तक के लिए दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2021 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के विचित समूह तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवैषित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
  - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
  - किसी बालक को घारीरिक या मानसिक रूप से प्रताङ्गित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क अवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
  - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

- स्कूल व्यारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं-

सुविधाएं		पोर्टल में दर्जे	वास्तविक स्थिति
8.	स्कूल के अवल की स्थिति	स्वयं कर भवन	स्वयं कर भवन
9.	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	115200	115200
10.	स्कूल का विभिन्न क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	42000	42000
11.	छेल मंदिर का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	70000	70000

### 3. अधोसंरचना का विवरण

क्रम	कक्ष	Rooms as per RTE	पोर्टल में दर्जे	वास्तविक स्थिति	
		संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1.	कक्षा आठवीं तक उपर्योग में आ रहे कक्षा कक्ष	28	560	28	560
2.	कार्यालय कक्ष-सह-आण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	4	480	4	480
3.	भौजनालय-सह-भण्डार	2	480	2	480

### 4. अन्य सुविधाएं

		पोर्टल में दर्जे	वास्तविक स्थिति
1.	कक्ष सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहत है हाँ/नहीं	हाँ	हाँ
2.	पठन पाठन समर्थी (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3.	द्वेषकूट एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4.	पुस्तकों की संख्या	1500	1500
5.	पत्रिकाएँ/समाचार पत्र	3	3
6.	प्रयोग सुविधा का प्रकार	Well	Well
7.	प्रयोग सुविधा की संख्या	2	2
8.	शैक्षालय का प्रकार (आदर्शीय/परिवर्तीकरणीय)	Indian	Indian
9.	लड़कों के लिए पृथक शैक्षालयों की संख्या	6	6
10.	लड़कियों के लिए पृथक शैक्षालयों की संख्या	6	6
11.	हिक्कांग बच्चों के लिए उपयुक्त शैक्षालयों की संख्या	1	1
12.	क्या अधिन सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हाँ/नहीं	हाँ	हाँ

- लेहे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टेड एकाउन्टेंट व्यारा सल्वायित होंगे और उचित लेखा विवरण लियमां के अनुसार लेखार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी बोर्ड भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर 19111193.. एवं डाइसेक्योड (DISE) 23190106023 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल व्यारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा बोर्ड/जिला शिक्षा अधिकारी व्यारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल की संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की नियन्त्र पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटील्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संस्करण उपार्थ "लीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपर्योगी और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस से ती जाएगी।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला MANDSAUR

मध्यप्रदेश